न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–285/2026
परिवाद वाद संख्या– 582सी/2011

मो0 इस्लाम.....आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

21-04-2026 आवेदक/अभियुक्त मो0 इस्लाम की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो परिवाद वाद संख्या– 582सी/2011, अंतर्गत धारा–498A भा0द0वि0 से संबंधित है, को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शकेर सुमन ठाकुर एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद परिवादिनी नाजदा खातून के अनुसार यह है कि उसकी शादी लगभग तीन वर्ष पूर्व मो0 इसलाम के साथ हुई थी। शादी में उसके मौसा–मौसी के द्वारा एक लाख रूपया का सामान दिया गया था और शादी के समय में ही आसामी मो0 इसलाम ने यह बात स्पष्ट कर दिया था कि मैं शादीशुदा हूं, परंतु अपनी बीबी रिजवाना को तीन तलाक दे दिया है। उसके बाद एक लाख रूपया की मांग करने लगा। जब परिवादिनी इसका विरोध की तो अभियुक्तगण गाली–गलौज एवं मारपीट किया एवं जेवर–जेवरात छीन लिया और घर चले गया। अभियुक्त पहली पत्नी को तलाक देने का विश्वास दिलाकर उसके साथ शादी किया और तलाकशुदा पत्नी को पुनः अपने साथ रखकर उसके साथ विश्वासघात किया और दहेज में एक लाख रूपया का मांग। मांग पूरा नहीं होने की स्थिति में परिवादनी को उसके मायके में ही छोड़ दिया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को संदेह के आधार पर झूठा फंसाया गया है। आवेदक को दुश्मनी एवं ब्लैकमैल करने इरादे से झूठा फंसाया गया है। आवेदक परिवादिनी का पति है।

आवेदक शादी के बाद दुबई चला गया था और वहां से लौटने के बाद आया तो देखा कि परिवादिनी उसका घर छोड़कर चली गयी है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाय गया है। आवेदक पर लगाया गया आरोप सामान्य प्रकृति का है। क्रूरता का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। प्रस्तुत जमानत आवेदन में परिवादिनी को नोटिस किया गया था, लेकिन वह अपने आवास पर नहीं पायी गयी। उनके अधिवक्ता को सूचित करने पर अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर बताते हैं कि परिवादिनी पिछले कई वर्षों से उनके संपर्क में नहीं है। मूल अभिलेख में भी परिवादिनी वर्ष 2013 से अब तक अनुपस्थित रही है। लगाया गया आरोप तीन वर्ष के कारावास से दण्डनीय है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। आवेदकगण को आदेश प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह के अन्दर गिरफ्तार होने अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करने पर रू 10,000/– (दस हजार रूपये) एवं समान राशि के दो प्रतिभूओं के साथ बंधपत्र संबंधित न्यायालय में दाखिल करने एवं संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर धारा–482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों के अनुपालन करने पर, आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।